


20-8-24 प्राथीगण द्वारा पत्रावली तलब करने व प्रार्थना-पत्र को विड़ो करने बाबत प्रार्थना-पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। प्राथी सं. 1 से 3 स्वयं उपस्थित। जिनकी पहचान उदनादराम शं. सूजाराम जाति जाट नि. खाखड़की जिला-नागौर एवं वकील-श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने की। प्राथीगण ने पहचान व स्वयं आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित प्रतियां पेश की। प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अनुसार उक्त प्रकरण को प्राथीगण चलाना नहीं चाहते हैं क्योंकि प्राथीगण व प्राथीगण के बीच में राजीनामा हो जाने के कारण उक्त प्रकरण को विड़ो करना चाहते हैं।

हमें प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत

श. नि.

कमला देवी

श. नि.



बाबूलाल

श. नि.



राधेश्याम

पहचान करती

उदनादराम शं

उदनादराम शं सूजा-
राम जाति जाट
नि. खाखड़की)

श. नि.


(विमल किशोर तिवाड़ी
एन.डी.डी.)



मु.नं. 62/2024 कमलादेवी/बुजमोहन

प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं उपस्थित
प्राधीगण को सुना। चूंकि मूल वाद जोरिये विद्रोह
खारिज किया जा चुका है, इस कारण उक्त
प्रकरण में कौई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने
से प्राधीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज किया
जाता है।

पत्रावली फ़ैसल मुम्बार होकर नम्बर से
कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
जानागढ़ (अजमेर)

जु २०२४